बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्रीमती वी0 हेकाली झिमोमी, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री अजय कुमार उपाध्याय, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री पी0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री पी0के0 आसूदानी, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. श्री चित्र कुमार त्यागी, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. श्री आर0एम0 त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. डा0 महेश चन्द्र पाण्डेय, वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे के दृष्टिगत पेयजल संकट उत्पन्न होने एवं आसन्न पेयजल संकट समस्या के समाधान के सम्बन्ध में दिनांक 6.04.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय की प्रगति समीक्षा की गयी। बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :–

(क) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 3500 एवं इससे ऊपर की आबादी के ग्रामों, जहॉ पाइप पेयजल योजना नहीं है, उन ग्रामों में एन0आर0डी0डब्लू0पी0 के अन्तर्गत क्रियान्वित सोलर पम्प से संचालित 200 टी0टी0एस0पी0 से सम्बन्धित योजनाओं का निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराने के दृष्टिगत यह निर्देश दिये गये कि समस्त 200 योजनाओं का निर्माण कार्य दिनांक 30 जून, 2016 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करा लिया जाय। उत्तर प्रदेश जल निगम इसके सम्बन्ध में साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे जिसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जायेगी।

(ख) निर्देश दिये गये कि बुन्देलखण्ड के जिन ग्रामीण अंचलों में टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जा रहे हैं, उन ग्रामों में सर्वप्रथम सोलर पम्प से संचालित टी0टी0एस0पी0 योजना /नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प एवं हैण्डपम्पों की रिबोरिंग में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

(ग) यह अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 137 पूर्णतः क्रियाशील एकल ग्राम पेयजल योजनाओं तथा 12 पूर्णतः क्रियाशील ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं सम्बन्धित जल संस्थानों को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक हस्तान्तरित किया जाना था। समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि अभी तक मात्र 50 एकल ग्राम पेयजल योजनाओं एवं 04 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का ही हस्तान्तरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को किया गया है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश हुए कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित जल संस्थानों को पूर्व में निर्धारित तिथि तक हस्तान्तरित न कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम के अधीन सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, जनपद के सम्बन्धित जिला पंचायत अधिकारी तथा महाप्रबन्धक जल संस्थानों से स्पष्टीकरण इस सन्दर्भ में प्राप्त कर शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जांय।

(घ) यह संज्ञान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जिन पाइप पेयजल योजनाओं को हस्तगत कराया जाना है वह पूर्णतः क्रियाशील नहीं हैं। अतः पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरण की कार्यवाही ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को चेकलिस्ट बनाकर ही किये जांय।

(ड़) दिनांक 06.04.2016 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बॉदा द्वारा उनके द्वारा अनुरक्षित पाइप पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु रू0 30.53 करोड़ की माइनर रिपेयर की कार्ययोजना एवं रू0 52.95 करोड़ की मेजर रिपेयर की